

(u)

परिपत्र संख्या-टैक्स आडिट/2021-22/ /कम्प्यूटर परि0सं0-2122009 / 47 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(टैक्स आडिट अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 22 जून, 2021

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),

ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0),

डि0कमि0/असि0कमि0/वाणिज्य कर अधिकारी,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- GSTR-3B एवं GSTR-2A में अन्तर पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।

GSTN से प्राप्त डाटा के अनुसार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में GST के अन्तर्गत कुछ पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल किए गए GSTR-3B में जितनी धनराशि की ITC अर्जित करते हुए उपभोग करना प्रदर्शित किया गया है उससे कम धनराशि की ITC उनके GSTR-2A में प्रदर्शित हो रही है।

अतः प्रत्येक जोन के ऐसे व्यापारियों की सूची सम्बन्धित जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 की ई-मेल पर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे सम्भागवार एवं खण्डवार करते हुए सम्बन्धित प्रॉपर आफिसर को दिनांक 28-06-2021 तक उपलब्ध करा दी जाय। उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सम्बन्धित प्रॉपर आफिसर द्वारा पंजीकृत व्यक्ति के GSTR-3B में क्लेम की गई ITC एवं GSTR-2A में प्रदर्शित हो रही ITC की वर्षवार स्कूटनी के पश्चात नियमानुसार वांछित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। प्रॉपर आफिसर के स्तर पर उक्त कृत कार्यवाही का नियमित अनुश्रवण सम्भाग, जोन एवं मुख्यालय स्तर पर किया जाय।

22/06/21
22-6-21

(मिनिस्ती एस.)

कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0- / व दिनांक: उक्त ।

प्रतिलिपि:- ज्वाइंट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को GSTN से प्राप्त सूची प्रत्येक जोन को ई-मेल से प्रेषित करने एवं परिपत्र को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।

790
23-6-21

(सुनील कुमार राय)

एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।